रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276298
CG-DL-E-17092026-276298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948
No. 558]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2026

फा.सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(2).— कतिपय खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2025, का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(2), तारीख 17 फरवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2027 से प्रवृत होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अन्तर्गत, -

(i) विनियम 2.3 में, उप- विनियम 2.3.1 में,-

(क) खंड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन परीक्षण अथवा विश्लेषण के पश्चात, रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 11 अथवा 7क में प्रेषक को तुरंत प्रदान की जाएगी।";

(ख) खंड 4 में दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परन्तु यह और कि अनिर्दिष्ट उत्पादों के संबंध में प्रयोग कि जाने वाली मात्रा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।";

(ii) विनियम 2.4 के पश्चात, निम्नलिखित विनियमों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2.5 विश्लेषण की विधि-

2.5.1 खाद्य पदार्थ नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर संशोधित या अपनाई गई विश्लेषण पद्धति की नियम पुस्तिका (मैनुअल) का उपयोग किया जाएगा। किसी मानदंड का विश्लेषण करने की विधि इन नियम पुस्तिका (मैनुअल) में उपलब्ध ना होने की स्थिति में, खाद्य प्रयोगशाला एओएसी/ आईएसओ/ पियर्सन/जैकब/आईयूपीएसी/खाद्य रसायन कोडेक्स/ बीआईएस/ कोडेक्स एलिमेंटेरियस/ वुडमेन/विंटन–विंटन/जोसलिन या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी विनियामक अभिकरण की मान्य विधि अपना सकती है।

2.6 विश्लेषण की समय सीमा -

2.6.1 विनियामक नमूने:- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थ प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।

परन्तु यह कि पावति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को विनिर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन अपील की स्थिति में रेफरल प्रयोगशाला निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नमूना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।

परन्तु यह कि पावति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को विनिर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।

2.6.2 आयात: खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अधीन अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला, स्थिति के अनुसार, नमूने की पावति प्राप्त होने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगा ।

परन्तु यह कि यदि नमूने का परीक्षण निर्दिष्ट समय के भीतर प्रयोगशाला द्वारा नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।";

(iii) उक्त विनियम में, प्ररूप क और ख का लोप किया जाएगा।

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./327/2026-27]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा. सं. 2–15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा.सं. 11023/24/2017-क्युए, तारीख 15 अक्तुबर, 2020 के माध्यम से किया गया।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(2).— Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2025, was published *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(2), dated the 17th February, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th February, 2025;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on 1st April, 2027.

2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011,-

(i) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.1, -

(a) for clause 2, the following shall be substituted, namely: -

"2. After test or analysis, the certificate thereof duly signed by the Director of the Referral Food Laboratory or the report signed by the Food Analyst shall be supplied forthwith to the sender in Forms XI or VII A respectively as specified under the Food Safety and Standards Rules, 2011.";

(b) in clause 4, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided further that in case of the unspecified products, the quantity drawn shall be as per the guidelines issued by Food Authority from time to time.";

(ii) after regulation 2.4, the following regulations shall be inserted, namely: -

"2.5 Method of Analysis-

2.5.1 The manuals of the method of analysis, as amended or adopted by the Authority from time to time, shall be used for analysing the samples of food articles. However, in case the method for analysing any parameter is not available in these manuals, the Food Laboratory may adopt a validated method of analysis prescribed by AOAC/ ISO / Pearson's/ Jacob/ IUPAC/ Food Chemicals CODEX/ BIS/ Codex

Alimentarius/Woodmen/Winton-Winton/Joslyn or any other internationally recognized regulatory agencies.

2.6 Timeline for Analysis-

2.6.1 Regulatory samples:- (1) The Food Analyst shall issue the signed report within fourteen days of the receipt of the article of food for analysis as per the format specified under Food Safety and Standards Rules, 2011:

Provided that in the case the sample cannot be analysed within fourteen days of its receipt, the Food Analyst shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis.

(2) In the case of appeal, referral laboratory shall issue the report signed by the Director within fourteen days of receipt of sample as per the format specified under Food Safety and Standards Rules, 2011:

Provided that in the case the sample cannot be analysed within fourteen days of its receipt, the referral laboratory shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis.

2.6.2 Import: Notified laboratory or referral laboratory as the case may be, shall provide the laboratory analysis report as per the format specified under Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017 within five days from the date of receipt of the sample:

Provided that in the case the sample cannot be tested by the laboratory within the specified time it shall state the reasons for the same in writing to the Authorised Officer.";

(iii) in the said regulation, the FORMS A and B shall be omitted.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./327/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F. No. 11023/24/2017-QA, dated the 15th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA